संख्या-157 /2018/2088/26-3-2018-4(154)/2005टी.सी.।

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 6 जुलाई 2018

विषयः- **वर्ष 2018-19 हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 में संचालित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-108/12/ज.जा.वि./2018-19, दिनांक-27.06.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत **'केन्द्रपुरोनिधानित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरी के संचालन'** योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-258.52 लाख के सापेक्ष उक्त शिक्षण संस्थान हेतु धनराशि रूपया-276.75 लाख (रूपया दो करोड़ छिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि **रूपया-138.375 लाख (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख सैतीस हजार पॉच सौ मात्र)** की श्री राज्यपाल निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि 'उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं विकास समिति' के नाम लखनऊ के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खातें में जमा की जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-व्यय की गयी धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)-गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक प्रगति की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-157 /2018/2088 (1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।
6. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।